I

कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

पत्रांक 1462/12-1 देहरादून, दिनांक 14 अक्टूबर, 2020

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0,
ऋषिकेश।

विषयः– प्रस्ताव संख्या– (FP/UK/ROAD/45667/2020) जनपद– देहरादून के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला में कालीमाटी चित्तौर घाईसेन होते हुए तलाई तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.5225 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या–8बी/यू0सी0पी0/06/101/2020/एफ0सी0/1423 दिनॉक–30.09.2020 **तथा अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड का पत्रांक–1025/FP/UK/ROAD/45667/2020 दिनांक–06.10.2020**

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के कम में जो अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी , वन भूमि हस्तान्तरण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी देहरादून को सम्बोधीत है का अवलोकन करने का कष्ट करें। विषयॉकित प्रस्ताव पर उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रदत सैद्वान्तिक स्वीकृति में अध्यारोपित 26 शर्तो/प्रतिबन्धों का अनुपालन करते हुए निम्न धनराशि लेखा संख्या–एस0बी0–25229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपकम) ब्लाक–11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज–1, लोधी रोड़ नई दिल्ली–110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति, जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्रापट/चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के सन्दर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस–पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराने की सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

सैद्वान्तिक स्वीकृति के अनुसार निम्न शर्तो के अनुपालन में देय धनराशि का विवरण निम्न प्रकार हैः–

मद	क्षेत्रफल है0 में	घनत्व	ईको क्लास	दर/है0	धनराशि
शर्त संख्या–3 के अनुसार– वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 3.045 है0 सिविल सोयम भूमि ग्राम लड़वाकोट, खसरा संख्या–213 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा	3.045	-	-	प्राक्कलन के अनुसार 337184.00	1026725.00
शर्त संख्या–5 (क) के अनुसार एन0पी0वी0 की शुद्व वर्तमान मूल्य के अनुसार वांछित धनराशि।	1.5225	0.5	I	939000.00	1429628.00
(चौबीस लाख छपन हजार तीन सौ तिरेपन रूपये) मात्र					2456353.00

नोट– शर्त संख्या–5 (ख) के अनुसार विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। **प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।**

अतः भारत सरकार वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय (उत्तर मध्य क्षेत्र) सुभाष रोड़ देहरादून द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति के समस्त 26 शर्तो का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

पत्रांकः– / 12–1 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी उत्तराखण्ड देहरादून को उनके उपरोक्त संदर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।